

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

1/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. पं. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रक रक कर आवाजे दिलाये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर सै 5म हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर०ए०एस०)

संख्या- 248/22 प्रा०पत्र

कन्हैयालाल ज० अमरस्यन्द जाट गिवासी- गो कलपुरा तहसील- माण्डल [बंगौर]

-प्रार्थी

बनाम

श्री जेतु ल० कल्याण जाट गिवासी- श्री लियारा तहसील- माण्डल [बंगौर]
(संबंधित प्राप्तिभारतंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 24-01-23


::आदेश::

प्रार्थना पत्र से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर नियेदन
ग्राम श्री लियारा पटवार हल्का बनाडी तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 323, 324 कुल किता 02 रकबा 0.5956
हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम श्री लियारा पटवार
तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 323, 324
02 रकबा 0.6956 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
श्री लियारा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
गढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा